

श. पत्र 27/11

5

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम का  
तामील में  
जारी हुए

17.5.17

पुस्तक

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ~~दिगतपुरा~~ में पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में प्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15-3-2011 को जारी है किन्तु प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलवाना कई अवसरों के बावजूद पेश नहीं किया गया है। अतः मूल प्रार्थना पत्र 212 आर टी ए तलबी के अभाव में खारिज किया जाता है व पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे व मूल वाद पत्र के संलग्न रहे।

21  
शिबिर प्रभारी (SDM)  
न्याय आषके द्वार (SDM)  
कैम्प स्थल.